

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 426 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कंडिका 7.1 के तहत भवन प्लान की स्वीकृति)

परगिट सख्ता - २३ / २०१५

दिनांक २६/०२/२०१५

सेवा मे.

ऑल फाईन होम्स पार्टनर

1.) अशफाक अहमद पिता-ख्वासु मुमताज अली

2.) नईम अख्तर पिता ख्वासु सिद्दीकी एवं अन्य,

जबाहरनगर नियर एच०पी० पेट्रोल पंप, मानगो।

महाशय,

प्लॉट सख्ता- ७५४ खाता सख्ता- ८८२, मौजा- मानगो, वाहन न०-०८ पर भवन निर्माण हुतु आपहे द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक मे Ground (Parking) + 4th Floor (Residential) Height - 14.70 M. कुल इकाई - ३ अद्व (आवासीय) के भवन प्लान की स्वीकृति गिन शर्तों पर दी जाती है-

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दरकारेज मे अश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी पकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता मे मान्य नहीं होगा। किसी भी परिविधि मे भवन की ऊँचाई/मजिल दी सख्ता मे वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकण एवं इसकी सुख्ता का दायित्व संवधित अनुज्ञाप्रिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी।
4. भूखण्ड के सामने घटारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पैकेन्ट का निर्माण तथा पेड लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अ.सै.स. कार्यालय को देनी होगी तथा स्थीर/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्ता जो अपार्टमेन्ट मे समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्थाय करनी होगी। भवन मे विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे उनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का ऐनस्टर लगाना होगा।
7. निर्माणकर्ता का निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन मे विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे उनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का ऐनस्टर लगाना होगा।
8. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging तथा Waste Water Recycling का पावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
10. भवन निर्माण मे ५० प्रतिशत फ्लाई एश विक्स का प्रयोग करना होगा।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ.सै.स. को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन मे Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. मानगो विल्डिंग वाई लॉज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम 2005 मे वर्णित अन्य सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ.सै.स. द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. मानगो न्यायालय द्वारा सेक लागाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत मे भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता सख्ता, रकवा, स्वीकृत भवन प्लान की पर्मिट सख्ता, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेंटा को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रामाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
16. भवन मे समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।
17. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञाप्रिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
18. यह परमिट निर्माण हेतु निर्गत दिवि से मात्र तीन वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगी।

२५/०२/१५
सहायक अभियंता
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
जमशेदपुर।

२८/०२/१५
विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
जमशेदपुर
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति